अपील सूचना अधिकार संख्या 51/2020 (RCMS 2020/00087) तिलकराज क्वार्टर नं. टाईप 3/21, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कैम्पस, नई दिल्ली 110016 (मोबा. नं : 99113-00554) बनाम तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर एवं अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी तिलक राज स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। तहसीलदार, अनूपगढ से उनके पत्रांक टीआरए/2020/486 दिनांक 20.10.2020 से पुनः रिपोर्ट प्राप्त हुई, शामिल मिसल की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर/अनूपगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2019 प्रस्तुत करके तीन बिन्दुओ की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री तिलक राज ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. पौंग डैम औस्ती के अन्तर्गत तहसील रायसिंहनगर में कितने लोगों को भूमि आवंटित की गई, कार्यालय रिकॉर्ड रजिस्टर अनुसार सूची उपलब्ध करवाने की कृपा रकें।
2. पौंग डैम औस्ती के अन्तर्गत तहसील अनूपगढ़ में कितने लोगों को भूमि आवंटित की गई कार्यालय रिकॉर्ड के रजिस्टर अनुसार सूची उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3. पौंग डैम औस्ती के अन्तर्गत तहसील अनूपगढ में चक संख्या 21 पी मुरब्बा नम्बर 59/1 यह जमीन वर्तमान में किसके नाम आवंटित है। आवंटित व्यक्ति का नाम पूर्ण पते सहित एवं आवंटित आदेश की छाया प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने अपने टीआरए/2020/272 दिनांक 24.08.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी तिलकराज क्वार्टर नम्बर 03/21 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली द्वारा सूचना के अधिकार के तहत पौंग डैम आवंटियों से सम्बन्धित कार्यालय रिकॉर्ड की सूचना चाही गई है। प्रार्थी द्वारा पैंग डैम आवंटियों के सम्बन्ध में रिकॉर्ड एवं रजिस्टर की सूची उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रिकॉर्ड की 245 प्रतियां 2/– रूपये प्रति पेज के हिसाब से 490/– रूपये जमा करवाकर इस कार्यालय से रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी को राशि जमा करवाने हेतु लिखा जा चुका है।

तहसीलदार (राजस्व)
रायसिंहनगर

तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ ने अपने टीआरए/20/78 दिनांक 27.02.2020 से अपीलार्थी को अपील का जवाब निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना प्रश्न वाचक है तथा जिस रूप में आप द्वारा सूचना चाही गई है उस रूप में सूचना इस कार्यलय में संधारित नहीं है। पृथक से संधारित सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं है।

अतः आप किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का अवलोकन करें, उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन उपरान्त आप द्वारा चाहा गया रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दिया जावेगा। सूचनार्थ प्रेषित है।

तहसीलदार (राजस्व)
अनूपगढ़

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर/अनूपगढ द्वारा अपीलार्थी को जवाब दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायसिंहनगर/अनूपगढ द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जो उत्तर दिये गए है**, सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर/अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार, अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को उक्त सूचनाओं से सम्बन्धित उपलब्ध कार्यालय रिकॉर्ड का अवलोकन करवा दिया जावे और अपीलार्थी उसमें से किसी निशिचित अभिलेख की सूचना लेना चाहे तो नियमानुसार राशि जमा करवाकर उसे उपलब्ध करवा दी जावे। अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर